

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (पॉलिटी) आकाशि/अनु/09/187

दिनांक:- 3/3/2011

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2011-12 के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में सशर्त अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	संबंधित महाविद्यालय का नाम	विषय संकाय
1	वीण मेमोरियल लॉ कॉलेज, गुलाब बाग, करीली	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
2	जगदम्बा महिला महाविद्यालय, रामबास, अलवर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
3	मौ केसर देवी बालिका महाविद्यालय, ओम भवन, सतानन्द कोलोनी, भण्डावर, तहसील महया, जिला दोसा	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
4	शारदा महिला महाविद्यालय, डेगाना, जिला नागीर	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-कला -भूगोल, कम्प्यूटर एप्ली0
5	श्री पीताम्बर महिला महाविद्यालय, टसकोला रोड, राठी वाला मंदीर के पास, पावटा, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-वाणिज्य (एबीएसटी, ईएफएम, बिजनेस एड0.)
6	श्री कृष्णा गर्ल्स कॉलेज, बाईपास रोड, कादट-सीकर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-कला (लोक प्रशासन, समोजशास्त्र)
7	एम.डी. महाविद्यालय, फेफाना, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
8	श्री बांके बिहारी महाविद्यालय, नगर-भरतपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय.
9	दियानी कॉलेज ऑफ साइन्स एण्ड मैनेजमेंट-फॉर गर्ल्स, विद्याधर नगर, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
10	भगवती कन्या महाविद्यालय, लालगढ जाटान, श्रीगंगानगर	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
11	खण्डेला सहशिक्षा महाविद्यालय, कादट रोड पंचायत, दायरा-खण्डेला- सीकर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-वाणिज्य (एबीएसटी, ईएफएम, बिजनेस एड0.)
12	महाराजा महिला महाविद्यालय, भगवाडी कर्ली, बहरोड, अलवर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-कला (गृह विज्ञान, लोक प्रशासन)
13	ग्रामोत्थान जे.पी. महाविद्यालय, मण्डेला, चिडावा लिंक रोड, झुंझूनु	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
14	गुरुकुल डिग्री कॉलेज, पंचायत समिति के पीछे, आसपुर, झूगरपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-वाणिज्य (एबीएसटी, ईएफएम, बिजनेस एड0.)
15	राजस्थान बालिका (पी.जी) महाविद्यालय, मण्डावा रोड, झुंझूनु	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
16	सेठ रावतमल बोधरा कन्या महाविद्यालय, बोधरा चौक, बीकानेर	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
17	शंकरा महाविद्यालय, एसपी-44, रीको औद्योगिक क्षेत्र-कूकस, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
18	सावित्री बाई फूले महिला महाविद्यालय, राधाकिशनपुरा, आर.टी.ओ ऑफिस के पास, सीकर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-वाणिज्य (एबीएसटी, ईएफएम, बिजनेस एड0), कला- भूगोल
19	विनायक कॉलेज, लक्ष्मणगढ- सीकर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-वाणिज्य (एबीएसटी, ईएफएम, बिजनेस एड0)
20	सन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एण्ड साइन्स, सन कम्पस, नवकार, यूनिवर्सिटी रोड, उदयपुर	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय
21	रविन्द्रपालसिंह परमार महाविद्यालय, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, कामा-भरतपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय एवं नवीन विषय संकाय-कला (उर्दू, चित्रकला)
22	टैगोर बालिका महाविद्यालय, खण्डेला, सीकर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय

सत्र 2012-13 में निर्धारित अवधि में आवेदन करते समय निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है:-

1. अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर तीन वर्ष से अधिक समय से संचालित हो रहे महाविद्यालय को अनिवार्य रूप से सत्र 2012-13 में स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में मय निर्धारित प्रपत्र व निर्धारित शुल्क सहित करना होगा।
2. स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मानदण्ड :-

- अ. मानदण्डानुसार संस्था के नाम स्वयं की भूमि-भवन के पंजीकृत दस्तावेज।
 - ब. यूजीसी योग्यताधारी स्थायी शैक्षणिक स्टॉफ पर संबंधित विश्वविद्यालय का अनुमोदन पत्र।
 - स. स्टॉफ को बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र।
 - द. समस्त स्टॉफ का पीएफ कटौती पत्र
 - य. समुचित छात्र सुविधाओं की व्यवस्था।
- उक्त शर्तों की पूर्ति के बिना किया गया आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

3. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में वी.सी.आई. से मान्यता व विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
4. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
5. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये सभी आदेशों/निर्देशों की पालना करेगी।
6. संस्था द्वारा सूचना का अधिकार के अन्तर्गत आवेदक को आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध करानी होगी।
7. संस्था नजदीकी राजकीय पीजी महाविद्यालय सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः जमा करायेंगी।
8. मापदण्डों की अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।

निदेशक,

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, करौली/दौसा/अलवर/नागौर/जयपुर/सीकर/हनुमानगढ़/भरतपुर/श्रीगंगानगर/झुंझनू/डूंगरपुर/बीकानेर/उदयपुर।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, -राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/एमडीएस विश्वविद्यालय, अजमेर/महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/एमएलएस विश्वविद्यालय उदयपुर/कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
7. सचिव, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय
8. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (53) आकाशि/अनु/2008/1042

दिनांक:-13/10/11


आदेश

सचिव, बियानी शिक्षण समिति, आर 4, से0 3, विद्याधर नगर, जयपुर द्वारा संचालित बियानी कॉलेज ऑफ साइन्स एण्ड मैनेजमेंट फॉर गर्ल्स, भैतरिया भैरू, ग्राम कालवाड़, जयपुर को सत्र 2011-12 से 'सहशिक्षा' में परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. सचिव, बियानी कॉलेज ऑफ साइन्स एण्ड मैनेजमेंट फॉर गर्ल्स, भैतरिया भैरू, ग्राम कालवाड़, जयपुर।
9. सांख्यिकी शाखा, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।


संयुक्त-निदेशक (अनुदान),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।